

10.7.2019

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 34/2018-19  
बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से  
संबंधित।

दिनांक  
15/5/19

आदेश फलक

अभियुक्ति


झारखंड सरकार के झापांक-2074/सं० दिनांक-13.05.2016  
सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/सं० दिनांक 03.09.1985 एवं  
सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/सं० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश  
के अनुपालन में गैरमजरूआ खारस भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की  
गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया  
गया विवरणी निम्नवत है-

मौजा-आमाघाटा मौजा न०-09 खाता न० 28 प्लॉट न० 138 रकबा 05 कटठा  
की भूमि जो गैरमजरूआ खारस, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि  
है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 228 पर  
जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति वन्दप्रमा दत्ता के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी  
की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से  
प्रतिष्ठित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के  
आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार  
पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य  
को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की  
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950  
की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।

अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे।  
अभिलेख दिनांक 2-5-19 को रखे।

  
15.3.19  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


  
27.3.15  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।


10/6/20

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक

20/6/20 को रखे।

  
10.6.20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा

आमावादा मौजा नं० 89 खाता 28 प्लॉट

नं० 138 रकबा 05 अना भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमावदी रैयत

के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमन)। आवेदित


भूमि दाखिल खारिज केस नं० 705 (11) 93-94 के अनुसार कायम है।


तत्कालीन अचल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमावदी को रद्द

हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमावदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
20.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।